

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सरिता पाण्डिय

भवन नं० ३६/१ ए.व.ड. चौक शेत्र लालाबाद नगर  
नीलगिरी योजना, लालाबाद।

पत्रांक ३७७

नि० प्रा० २०१६/७६

दिनांक २६-२-२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खंडस्तर संख्या B - ३६/१ योजना नं० शेत्र लालाबाद नगर लालाबाद निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०५.०७.२०१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या १३/३४० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविदानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक २६-२-२०१६ से २५-२-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मस्टी हेतु ४७.४० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४९.३० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
३. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
४. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प्र० स०

३७७

/उपरोक्त

प्रतिरिप्ति:-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लालाबाद को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय चौक शेत्र लालाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लालाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक तददिनांक २६-२-२०१६

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...प्रौद्योगिकी

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सत्या मिठा ०/० श्री जगदेव मिठा  
76 A/1 जौधवल, टोलीघाट गोज  
इलाहाबाद

पत्रांक ८६

नि० प्रा० २०१५/१०३

दिनांक ९-३-२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या.....B-138/1.....योजना इलाहाबाद नगर.....इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १५/९८७  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९-३-२०१६ से ८-३-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १११.३.९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १०.५.६ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० ८६

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, टोलीघाट, गोज.....उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
१/ प्र० विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्र० विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक ९-३-२०१६

*[Signature]*  
१/ प्र० विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्र० विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक ९-३-२०१६



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

१/ श्रीमती/ विवेचना पत्नी श्री मितलाल  
B-142 चंडीगढ़ आजाद नगर पोजन मेहदी  
इलाहाबाद नि० प्रा० २०१६/६३ दिनांक १९.१०.२०१६  
पत्रांक ४६७ ✓

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या B-142 योजना चंडीगढ़ आजाद नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ७-१०-२०१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ४६५  
..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक १९-१०-२०१६ से १८-१०-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 239.04 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..  
266.64 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35  
उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ४६७

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उप्रो आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

*[Signature]*  
Rao

तददिनांक १९.१०.२०१६

*[Signature]*  
19/10/16



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी राजेश कौवान्तव  
A - 209 बन्हु शेखर आपाद नगर, नीलगिरी योजना,  
इलाहाबाद।

पत्रांक 376

नि० प्रा० 2016/62

दिनांक 26-7-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खुल्लरा संख्या.....A-209.....योजना बन्हु शेखर आपाद नगर.....इलाहाबाद.....निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०४.०७.२०१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ३४२.....के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्रविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। २५-७-२०२१

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २६-७-२०१६ से २५-७-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३५६.७.३ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ८९२.८। वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५.....उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० स० 376

/उपरोक्त

प्रतीतिः—

- आधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५.....उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद.....को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पादित प्रबन्धक कार्यालय, बन्हु शेखर आपाद नगर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद.....को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 26-7-2016

*[Signature]*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 26-7-2016

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्द्रा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी राम अवतार सिंह श्री रमेश कुमार सिंह  
A-102 बन्धु शेखर आजाद नगर, मैदानी, श्री रमेश कुमार सिंह  
इलाहाबाद

पत्रांक 194

नि० प्रा० २०१७/१२

दिनांक ७.६.२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या A-102 योजना बन्धु शेखर आजाद नगर इलाहाबाद पर्याप्त निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १०.०५.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ६५४ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ७.६.२०१७ से ६.६.२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु २६०.१२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४६६.९० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

१०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

194

/उपरोक्त

तददिनांक

७.६.२०१७

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय बन्धु शेखर आजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी *राजेश बहादुर*

*स्वीकृत पत्र* रोड लाइल लाइन

लाइबाट नि० प्रा० २०१५/१०५

पत्रांक 146

दिनांक २८-४-२०१७

भवन / भूखण्ड संख्या / खसरा संख्या C-11 योजना द्वारा निर्माण हेतु लाइबाट

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १३-४-२०१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ६६८

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २८-४-२०१७ से २७-४-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ७६.९५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १३४.१२५ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

7. भूतल निर्माण के प्रयात्रक्षण्ड्याप निर्माणपत्र के प्रयात्रक्षण्ड्याप तालों का स्वीकृति प्रदान की जायेगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० १४६ / उपरोक्त

१९८ तददिनांक २८-४-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, भूखण्ड पर निर्माण को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, भूखण्ड पर निर्माण को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

g/e

*28/4/17.*